निर्णय बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–19/2019
दायरा दिनांक :– 23.09.2010
निर्णय दिनांक :–25.09.2019

उनवान

गोपाल पुत्र मांग्या आयु 60 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बदाम बाई बेवा मानसिंह आयु 55 वर्ष लोधा पिवासी ग्राम हान्याहेडी
2. रामराज (ना0बा0) हरिओम (ना0बा0) शक्कर बाइ (ना0बा0) गायत्री बाई (ना0बा0) ममता बाई (ना0बा0) संमत्रा बाई (ना0बा0) पुत्र व पुत्रियान मानसिंह सरपरस्त माता बदाम बाई जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)।
3. रामचन्द्रपुत्र पन्ना आयु 50 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
4. ग्यारसीराम पुत्र मांग्या आयु 58 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
5. चम्पालाल पुत्र मांग्या आयु 55 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
6. बद्रीबाई पुत्री मांग्या आयु 50 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी
7. हरबाई पुत्री मांग्या आयु 48 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. सरकार जर्ये हल्का पटवारी हान्याहेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. सरकार जर्ये पुलिस चौकी धींगाराडी जर्यं बिट प्रभारी थाना वापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

–::प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0एक्ट::–
निर्णय दिनांक 25.09.2019

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 212 विरूद्ध प्रतिवादीगणो के इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल हान्याहेडी के खाता संख्या 35/35 मे स्थित खसरा नम्बर 18,19,20,21,22,102,103,422/1 444 कुल किता 9 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा ,स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 14/13 मे स्थित खसरा नम्बर 57/356,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 कुल किता 12 कुल रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, इसी प्रकार खाता संख्या 13/12 मे स्थित खसरा नम्बर 10,11,12,13,55 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित , है जिसमु प्रार्थी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी का हिस्सा शामलाती मे होने के कारण अन्य शामलाती खातेदार अप्रार्थीगण काश्त करने मे बांधा उत्पन्ना करते है। पुलिस मे झुठी शिकायते करके प्रार्थी को गिरफतार करवाते है। और पुलिस प्रार्थी को प्रताडित करती है। कब्जं से बेदखल करके

Scanned by CamScanner

अन्य प्रार्थी का कब्जा दिलवाना चाहती है। दिनांक 09.12.2018 को पुलिस बिट प्रभारी ने प्रार्थी को जबरन गिरफतार किया जिसके कारण प्रार्थना पत्र हेतु उत्पन्न हआ।

राजस्व रिकार्ड एवं मोका अनुसार अपने हिस्से का बटवारा करवाना चाहता है, और राजस्व रिकार्ड मे अलग दर्ज करवाना चाहता है। तथा मौके पर पत्थर गढी करवाकर सरकार चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है। जिसके लिए प्रार्थना पत्र पेश है। जिसका श्रवणाणिकार एवं क्षेत्रधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। का उद्देश्य बटवारा दर्ज करवाना है, इसलिए राज्य सरकार को नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। प्राईमा फैसाई केस एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे मौजुद है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि ता फैसला वाद अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त मे किसी से बांधा उत्पन्न नही करे।

वादी का प्रार्थना पत्र दर्ज रलिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कि गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल फोटो कापी मृत्यु प्रमाण पत्र 18.05.2018 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम हान्याहेडी खाता 38 सम्वत 2072 से 2075 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 14 सम्वत 2074 से 2077 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 13 सम्वत 2074 से 2077 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 12 सम्वत 2070 से 2073 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 13 सम्वत 2070 से 2073 पेश किये गये।

बहस अभिभाषक वादी एकपक्षीय सूनी गई अभिभाषक वादी द्वारा अपने तर्क मे कहा कि ग्राम हान्याहेडी तहसील छबडा के खाता संख्या 35/35 मे स्थित खसरा नम्बर 18,19,20,21,22,102,103,422/1 444 कुल किता 9 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा ,स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 14/13 मे स्थित खसरा नम्बर 57/356,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75 कुल किता 12 कुल रकबा 14 बीधा 19 बिस्वा भूमि स्थित है, इसी प्रकार खाता संख्या 13/12 मे स्थित खसरा नम्बर 10,11,12,13,55 कुल किता 5 कुल रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा आराजी स्थित , है जिसमु प्रार्थी का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी का हिस्सा शामलाती मे होने के कारण अन्य शामलाती खातेदार अप्रार्थीगण काश्त करने मे बांधा उत्पन्ना करते है। पुलिस मे झुठी शिकायते करके प्रार्थी को गिरफतार करवाते है। और पुलिस प्रार्थी को प्रताडित करती है। कब्जं से बेदखल करके अन्य प्रार्थी का कब्जा दिलवाना चाहती है। दिनांक 09.12.2018 को पुलिस बिट प्रभारी ने प्रार्थी को जबरन गिरफतार किया जिसके कारण प्रार्थना पत्र हेतु उत्पन्न हआ। राजस्व रिकार्ड एवं मोका अनुसार अपने हिस्से का बटवारा ककरवाना चाहता है, और राजस्व रिकार्ड मे अलग दर्ज करवाना चाहता है।

अभिभाषक वादी कि एकपक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेज नकल फोटो कापी मृत्यु प्रमाण पत्र 18.05.2018 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम हान्याहेडी खाता 38 सम्वत 2072 से 2075 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 14 सम्वत 2074 से 2077 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 13 सम्वत 2074 से 2077 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 12 सम्वत 2070 से 2073 नकल फोटो कापी जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण खाता 13 सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार वादी

Scanned by CamScanner

गोपाल पुत्र माग्या खातेदार दर्ज रिकार्ड होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि वादी गोपाल विवादित आराजी मे शामलाति खातेदार है एवं वादी का हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। अतः मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष मे है। अतः वादी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्र्राम हान्याहेडी के खाता सं0 38 के कुल खसरा नं0 9 किता रकबा 5.10 बीघा एवं ग्राम खेरखेडा लक्ष्मण के खाता सं0 14 कुल खसरा नं0 12 किता रकबा 14.19 बीघा एवं खाता सं0 13 के कुल खसरा नं0 5 किता रकबा 14.11 बीघा मे प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे काश्त में मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार कि बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी छबड़ा

Scanned by CamScanner